

कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , सोनभद्र

पत्रांक सं० १५५५ 2019/20

दिनांक 16/08/2019


प्राचार्या / प्रबन्धक
आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल, रेणुकूट
जनपद— सोनभद्र।

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 10 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010 के नियम 15 के अधीन संचालित
विद्यालय के लिए प्रमाण -पत्र।

महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर निर्णयोपरान्त "आदित्य बिड़ला पब्लिक
स्कूल, रेणुकूट" जनपद— सोनभद्र जो कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है
(मान्यता सं० 2130017) के सन्दर्भ में यह प्रमाणित किया जाता है कि आप का विद्यालय निःशुल्क
एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 10 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010 के नियम 15 का अनुपालन करता है।

यह विद्यालय समय-समय पर कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करता है।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
16-08-19 सोनभद्र- 3090